पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2021 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.305

अधौरा थाना कांड संख्या-32 वर्ष-2004 जिला-कैमूर (भभुआ) से उद्भूत

==========

मीरा यादव उर्फ राम रूप यादव, पिता-रामबली यादव उर्फ धोड़ा यादव, निवासी ग्राम-भवानी काला, थाना-अधौरा, जिला-कैमूर (भबुआ)।

.....अपीलकर्ता

बनाम

बिहार राज्य

....प्रतिवादीगण

==========

के साथ

2021 का आपराधिक आवेदन (खं.पी.) सं. 359

अधौरा थाना कांड संख्या-32 वर्ष-2004 जिला-कैमूर (भभुआ) से उद्भूत

==========

मेवालाल खरवार, पिता-स्वर्गीय खजुर सिंह, निवासी ग्राम-बांकी, थाना-मांची, जिला-सोनभद्र

....अपीलकर्ता

बनाम

बिहार राज्य

....प्रतिवादीगण

==========

के साथ

2021 का आपराधिक आवेदन (खं.पी.) सं. 459

अधौरा थाना कांड संख्या-32 वर्ष-2004 जिला-कैमूर (भभुआ) से उद्भूत

==========

लल्लू सिंह, पिता- राबन सिंह, निवासी ग्राम -बभनिकला, थाना -अधौरा, जिला-कैमूर (भभुआ)

....अपीलकर्ता

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रतिवादी

==========

उपस्थिति:

(2021 के आपराधिक आवेदन (खं.पी.) संख्या 305 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए: श्री सौरेंद्र पांडे, अधिवक्ता

श्री राजेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए: सुश्री शशि बाला वर्मा, एपीपी

(2021 का आपराधिक आवेदन (खं.पी.) संख्या 359)

अपीलार्थी/ओं के लिए: श्री प्रभाकर सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिएः सुश्री शशि बाला वर्मा, एपीपी

(2021 का आपराधिक आवेदन (खं.पी.) संख्या 459)

अपीलार्थी/ओं के लिए: श्री मनोज कुमार, अधिवक्ता

श्री पवन कुमार सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए:- सुश्री शशि बाला वर्मा, सहायक लोक अभियोजक

==========

अधिनियम/धारा/नियम:

भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 302, 120 बी,

शस्त्र अधिनियम की धारा 27,

आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 17,

संदर्भित मामले:

छोटकऊ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023) 6 एससीसी 742 में रिपोर्ट किया गया

जावेद शौकत अली बनाम गुजरात राज्य, (2023) 9 एससीसी 164 में रिपोर्ट किया गया

आवेदन - भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सजा के फैसले के खिलाफ

माना गया- याचिकाकर्ता के चश्मदीदों के बयानों में गंभीर विरोधाभास हैं। -आईओ से पूछताछ नहीं की गई है। - अभियोजन पक्ष की ओर से कोई ठोस और विश्वसनीय सबूत पेश नहीं किया गया।

(पैरा 28)

अपील की अनुमति है. (पैरा 29)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

मौखिक निर्णय

(द्वाराः माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह)

तिथीः-09-05-2024

1. पक्षों को सुना।

2. ये तीनों अपीलें एक ही निर्णय से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए उनका निर्णय एक सामान निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

3. ये अपीलें अधौरा थाना से उत्पन्न सत्र परीक्षण मामले संख्या 205/2008 में विद्वान त्वरित न्यायालय-I, भभुआ द्वारा पारित सजा के फैसले दिनांक 25.03.2021 और सजा के आदेश दिनांक 26.03.2021 के खिलाफ दायर की गई हैं। केस नंबर 32/2004, जिसके तहत अपीलकर्ता मेवालाल खरवार को भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में भा.दं.सं.) की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए रु. दो लाख रुपये और जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अपराध के लिए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। रुपये 20,000/- जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अन्य अपीलकर्ताओं को भा.दं.सं. की धारा 120 बी के साथ धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया और रुपये दो लाख के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया है।

4. अपीलकर्ताओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 147, 148, 149, 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम (संक्षेप में सीएलए अधिनियम) की धारा 17 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाए गए।

<u>अभियोजन कहानी</u>

5. अभियोजन की कहानी का सार इस प्रकार है:-

सूचक, मृतक के पिता के अनुसार, दिनांक 19.11.2004 को उनका पुत्र अवराज यादव उर्फ अनराज यादव अपने घर से छठ पर्व में शामिल होने के लिए अपने घर के दक्षिणी तरफ जा रहा था और वह (मुखबिर) भी उसके पीछे छठ पर्व में शामिल होने के लिए जाने लगा, तभी मुखिया के घर के सामने वाली गली में मुखिया रामजग खरवार, उनके सह ग्रामीण मीरा यादव उर्फ राम रूप यादव, इंद्रदेव यादव, लालमुनि बैठा, लल्लू सिंह, लक्ष्मी सिंह और केदार यादव अलाव के चारों ओर बैठकर ताप रहे थे और 8-10 लोग भी वहां खड़े थे, जो पुलिस की वर्दी में थे और उनके पास राइफल और बंदूकें थीं. सूचक ने आगे आरोप लगाया कि जैसे ही उसका बेटा दक्षिणी दिशा में आगे बढ़ा और वह अपने सह-ग्रामीणों और अन्य लोगों से कुछ गज की दूरी पर था, तब अलाव के चारों ओर खुद को गर्म कर रहे लोगों ने उसके बेटे की पहचान बताई और उसे जान से मारने के लिए भी कहा और फिर हथियारबंद लोगों ने उसके बेटे को पकड़ लिया और उसे बरगद के पेड़ के पास ले गए, जहां छठ पर्व मनाया जा रहा था और उसके बाद एक व्यक्ति ने सीटी बजाई, तभी 20-25 लोग काले कपड़े पहने हुए राइफल और बंदूक से लैस हो गए। पुलिस की वर्दी वहां आई और वे ग्रामीणों को धमकी दी कि अगर किसी ने विरोध किया तो वे उन्हें मार देंगे और उन्होंने खुद को पीपुल्स वार ग्रुप का सदस्य बताया। मुखबिर ने आगे आरोप लगाया कि उग्रवादियों में एक मेवालाल खरवार (अपीलकर्ता) नेता था और उसके संकेत पर अन्य उग्रवादियों ने उसके बेटे के हाथ पीछे से बांध दिए और वे उसे दक्षिणी दिशा में स्थित एक पहाड़ी की ओर ले गए और फिर ग्रामीणों ने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया. सूचक ने अपनी प्रथम सूचना प्रतिवेदन में आगे कहा। पताई पहाड़ी के पास अभियुक्त/अपीलकर्ता मेवालाल खरवार ने उनके पुत्र के सीने पर रायफल से कई गोलियां दाग दीं, जिससे उनके पुत्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी, उसके बाद सभी उग्रवादी दक्षिणी दिशा की ओर चले गये, उनमें मूसा मियां, बिनोद भी शामिल थे. सिंह,

बिहारी उराँव, घमदी उराँव, इबरार मियाँ, सुन्दर सिंह और राज कुमार सिंह की पहचान उन्होंने की।

6. सूचक ने उपरोक्त घटना का विवरण देते हुए अपना *फर्द बयान* दर्ज किया और उसके आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन 14 आरोपी व्यक्तियों और कुछ अन्य अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और पांच आरोपी व्यक्तियों का मुकदमा अलग कर दिया गया था और वर्तमान अपीलकर्ताओं को सत्र परीक्षण मामले संख्या 205/2008 में संयुक्त रूप से मुकदमे का सामना करना पड़ा था जिसमें दोषसिद्धि और सजा के आदेश पारित किए गए थे जो हैं चुनौती के तहत।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल मिलाकर नौ गवाहों का परीक्षण कराया गया जो इस प्रकार हैं

(i) पीडब्लू 1-रामपति यादव (सूचक)

(ii) पीडब्लू 2-शंभू यादव उर्फ शंभू सिंह (चश्मदीद गवाह)

(iii) पीडब्लू 3-धनराज यादव (चश्मदीद गवाह)

(iv) पीडब्लू 4-गुलवास अहमद

(v) पीडब्लू 5-रामवृक्ष सिंह

(vi) पीडब्लू 6-डॉ. ऋषि लाल पांडे (डॉ. प्रदीप कुमार झा के लेखन को साबित किया)

(vii) पीडब्लू 7-बैद्यनाथ ओझा (दूसरा जाँच अधिकारी)

(viii) पीडब्लू 8-डॉ. प्रदीप कुमार झा (मृतक के पोस्टमार्टम और जांच रिपोर्ट से संबंधित)

(ix) पीडब्लू 9-सुरेंद्र यादव (मृतक का बहनोई, एक चश्मदीद गवाह)

8. दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत और साबित किया, जिन्हें निम्नलिखित तरीके से प्रदर्शन के रूप में चिह्नित किया गया था।

(i) प्रदर्श 1- मृतक की जाँच रिपोर्ट पर डॉ. प्रदीप कुमार झा के हस्ताक्षर

(ii) प्रदर्श 2- सर्कल अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट

(iii) प्रदर्श 3- औपचारिक प्रथम सूचना प्रतिवेदन

(iv)प्रदर्श 4- राइफल के जीवित कारतुस की बरामदगी का जब्त ज्ञापांक

(v) प्रदर्श 5 और 6- प्रथम सूचना प्रतिवेदन और 2012 के अधौरा थाना केस नंबर 21 का आरोप पत्र

9. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के पूरा होने के बाद, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों के बयान दर्ज किए गए, जिससे उन्हें अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से उनके खिलाफ पेश होने वाली परिस्थितियों को समझाने का अवसर मिला, जिन्हें उनके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और उन्होंने खुद को निर्दोष होने का दावा किया था, लेकिन उन्होंने अपने बयानों में कोई विशिष्ट बचाव नहीं किया।

<u>दलील</u>

10. अपीलार्थी, मेवालाल खरवार के विद्वान वकील, श्री प्रभाकर सिंह प्रस्तुत करते हैं कि जिन मुख्य गवाहों पर अभियोजन पक्ष ने भरोसा किया है, वे पीडब्लू 1, पीडब्लू 2, पीडब्लू 3 और पीडब्लू 9 हैं, जो मृतक के करीबी रिश्तेदार हैं, लेकिन उनकी गवाही में गंभीर विरोधाभास हैं और उनके साक्ष्य विश्वास पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और इन गवाहों के साक्ष्य के उसी सेट पर विद्वान निचली अदालत ने सह-अभियुक्त, घमादी उरांव, अवधेश उरांव, सुंदर सिंह उर्फ श्याम सुंदर सिंह, राज कुमार सिंह और मिहका उरांव को बरी कर दिया और विडंबना यह है कि साक्ष्य के एक ही समूह के आधार पर वर्तमान अपीलार्थियों को दोषी ठहराया गया है और इन गवाहों ने घटना के तरीके को अलग-अलग तरीकों से वर्णित किया है और वास्तव में, कथित घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि पीडब्लू 1, पीडब्लू 2, पीडब्लू 3 और पीडब्लू 9 ने अपीलकर्ता मेवालाल खारवार द्वारा उपयोग किए गए हथियार की प्रकृति और प्रकार के बारे में विरोधाभासी बयान दिए और सूचना देने वाले ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन में घटना स्थल पर अपने बेटों (पीडब्लू 2 और पीडब्लू 3) और पीडब्लू 9 की उपस्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा और इन गवाहों में से कुछ ने कहा कि मृतक को आरोपी व्यक्तियों द्वारा सामने से चोटें लगी थीं, लेकिन उनमें से कुछ ने कहा कि आरोपी ने मृतक पर पीछे से गोली चलाई थी जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मृतक पर गोली चलाई थी, उन्होंने विरोधाभासी बयान भी दिए। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि अपीलकर्ताओं और मृतक के बीच शत्रुता के संबंध में अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाहों ने विरोधाभासी बयान दिए क्योंकि पीडब्लू 1 ने कहा कि अपीलकर्ता, लल्लू सिंह, आरोपी, लाल मुनि बैठा और मृतक के बीच कोई शत्रुता नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि उनके बीच कुछ भूमि विवाद था जबकि पीडब्लू 2 ने कहा कि मृतक की अभियुक्त के साथ कोई शत्रुता नहीं थी। इसी तरह पीडब्लू 3 ने स्पष्ट रूप से कहा कि आरोपी लाल

मुनि बैठा और अपीलार्थी लल्लू सिंह को छोड़कर आरोपी का मृतक के साथ कोई विवाद और दुश्मनी नहीं थी।

11. अपीलार्थी, मीरा यादव उर्फ राम रूप यादव के विद्वान वकील श्री सौरेंद्र पांडे अपीलार्थी, मेवालाल खरवार की ओर से ऊपर उल्लिखित दलीलों को स्वीकार करते हैं और इसके अलावा, वह प्रस्तुत करते हैं कि इस अपीलार्थी के खिलाफ कोई आरोप नहीं है और कहा जाता है कि उसने मृतक पर गोली नहीं चलाई और अभियोजन पक्ष के गवाह इस अपीलार्थी के किसी भी कार्य का खुलासा करने में विफल रहे जो यह दर्शाता है कि उसने अपीलार्थी, मेवालाल खरवार और अन्य लोगों के साथ साजिश रची थी जिन्होंने कथित रूप से मृतक पर गोली चलाई थी और यह अपीलार्थी बरी होने का हकदार था क्योंकि उसी साक्ष्य के आधार पर कुछ अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया गया था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया और इसके अलावा, उनके खिलाफ कथित अपराध को आकर्षित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि विद्वत निचली अदालत ने इस अपीलार्थी को मुख्य रूप से इस आधार पर दोषी ठहराया कि उसने और सह-दोषी, लल्लू सिंह ने मृतक को मारने की साजिश रची, लेकिन इस संबंध में, अभियोजन पक्ष किसी भी प्रकार का सबूत पेश प्रस्तुत में विफल रहा और यहां तक कि इस अपीलार्थी और सह-दोषी, लल्लू सिंह की उपस्थिति के बारे में भी, अभियोजन पक्ष के अधिकांश गवाहों ने विरोधाभासी बयान दिए।

12. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार, लल्लू सिंह ने अन्य अपीलार्थी की ओर से तर्क प्रस्तुत किये।

13. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक सुश्री शशि बाला वर्मा ने तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं और पीडब्लू 1, पीडब्लू

2, पीडब्लू 3 और पीडब्लू 9 के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे कथित घटना के गवाह हैं, उन्होंने अभियोजन के मामले का पूरी तरह से समर्थन किया और वे घटना के तरीके के बारे में सुसंगत रहे और कथित घटना अपीलकर्ताओं, मीरा यादव उर्फ राम रूप यादव, लल्लू सिंह और अन्य द्वारा उग्रवादियों के साथ रची गई साजिश को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी। विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक आगे प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि हत्या उग्रवादियों द्वारा की गई थी, इसलिए घटना का पहला भाग देखने के बावजूद कोई भी स्वतंत्र गवाह उग्रवादियों के विरूद्ध साक्ष्य देने नहीं आया और अभियोजन पक्ष के गवाहों पीडब्लू 2 और पीडब्लू 3 का इस मुकदमे में साक्ष्य देने के बाद हत्या कर दिया गया और उनके हत्या के संबंध में अपीलकर्ता मीरा यादव उर्फ राम रूप यादव और अन्य लोगों पर 2012 के अधौरा थाना मामला संख्या 21 के संबंध में आरोप पत्र दायर किया गया था, जो अपीलकर्ता मीरा यादव उर्फ राम रूप यादव और अन्य लोगों के साहस को दर्शाता है और यह कथित अपराध में उक्त अपीलकर्ताओं और अन्य लोगों की मिलीभगत को दिखाने के लिए भी पर्याप्त है।

<u>विचार और सराहना</u>

14. दोनों पक्षों को सुना और विवादित निर्णय और आदेश का अध्ययन किया और उन साक्ष्यों को भी देखा जो निचली अदालत के मामले के अभिलेख के साथ-साथ अभियुक्तों/अपीलार्थियों के बयानों पर भी हैं।

15. तत्काल मामले में, घटना के तरीके के संबंध में पीडब्लू 1, पीडब्लू 2, पीडब्लू 3 और पीडब्लू 9 के साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन गवाहों ने खुद को कथित घटना के घटित होने को देखने का दावा किया है और अभियोजन पक्ष का मामला

पूरी तरह से इन गवाहों की गवाही पर निर्भर करता है। पीडब्लू 2 और पीडब्लू 3 पीडब्लू 1 के बेटे हैं, पीडब्लू 9 मृतक का साला है और ये सभी गवाह मृतक के रिश्तेदार हैं। प्रथम सूचना प्रतिवेदन पीडब्लू 1 द्वारा दर्ज किया गया था, जो मृतक का पिता हैं। अपीलार्थियों को दोषी ठहराते हुए विद्वत निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अपीलार्थी मीरा यादव उर्फ राम रूप यादव और लल्लू सिंह ने मृतक अवराज यादव उर्फ अनराज यादव को मारने की साजिश रची और उस साजिश के अनुसरण में अपीलार्थी मेवालाल खरवार, जो कथित रूप से एक उग्रवादी समूह से संबंधित है, ने उक्त उग्रवादी समूह के कई सदस्यों के साथ मृतक को उस समय पकड़ लिया जब वह अपने ग्राम में छठ उत्सव में भाग लेने और मनाने जा रहा था और उसके बाद पीड़ित को एक पहाड़ी की चोटी की ओर ले जाया गया जहां अपीलार्थी मेवालाल खरवार ने उसकी हत्या कर दी। उसके पास कथित आग्नेयास्त्र को अपने कब्जे में रखने का कोई लाइसेंस नहीं था और तदनुसार, निचली अदालत ने उक्त अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया और अन्य अपीलार्थी को की भारतीय दंड संहिता धारा 120 बी की सहायता से धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया।

16. अब, हमें यह देखना होगा कि क्या पीडब्लू 1, पीडब्लू 2, पीडब्लू 3 और पीडब्लू 9 द्वारा दावा किए गए कथित घटनास्थलों पर उनके साक्ष्य और उपस्थिति विश्वसनीय और विश्वास करने योग्य हैं या नहीं।

17. प्रथम सूचना प्रतिवेदन के अनुसार, जो मृतक के पिता, पीडब्लू 1 द्वारा दर्ज किया गया था, सूचना देने वाले के गाँव के कुछ ग्रामीण अर्थात् मीरा यादव उर्फ राम रूप यादव, इंद्रदेव यादव, लालमुनि बैठा, लल्लू सिंह, लक्ष्मी सिंह और केदार यादव, ब्लॉक

प्रमुख रामजाग खरवार के घर के सामने अलाव के चारों ओर लोग बैठे हुए खुद को गर्म कर रहे थे, जहां पुलिस की वर्दी पहने और आग्नेयास्त्रों से लैस आठ-दस लोग भी थे और जैसे ही पीड़ित छठ उत्सव की जगह की ओर जा रहा था, उक्त सह-ग्रामीणों ने सशस्त्र व्यक्तियों को यह कहकर संकेत दिया कि पीड़ित मौजूद था और उन्हें मारने के लिए उकसाया उसके बाद इकट्ठा हुए सशस्त्र व्यक्तियों ने उन्हें पकड़ लिया। पीड़ित की पहचान की और उसे बरगद के पेड़ के पास गाँव के दक्षिणी हिस्से की ओर ले गए जहाँ पुलिस की वर्दी पहने और राइफल और बंदूकें लिए हुए लोग भी पहुंचे, जहाँ से पीड़ित, जो बंधी हुई स्थिति में था, उसे दक्षिणी पहाड़ी की ओर ले जाया गया और फिर अपीलकर्ता, मेवालाल खरवार ने राइफल का उपयोग करके गोली चला दी और पीड़ित की छाती पर गोली चला दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस अभियोजन पक्ष की कहानी से तीन बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि सूचना देने वाले ने इकट्ठे हुए सह-ग्रामीणों की विशिष्ट भूमिका का खुलासा नहीं किया, जिन्होंने खुलासा किया और पीड़ित की मौजूदगी के बारे में संकेत दिया कि वह इकट्ठे हुए उग्रवादियों के पास है और दूसरी बात यह है कि केवल सूचना देने वाला ही कथित अपराध का गवाह था और तीसरी बात यह है कि अपीलकर्ता मेवालाल खरवार था। केवल हमलावर और इन प्रासंगिक तथ्यों के संबंध में, अब, हम अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य की सराहना करेंगे।

18. सूचना देने वाले पीडब्लू 1 ने जाँच-प्रभारी को बताया कि इकट्ठे हुए सह-ग्रामीणों में एक रामजाग खरवार भी मौजूद था जिसकी पहचान उसने की थी। लेकिन उसका नाम प्रथम सूचना प्रतिवेदन में नहीं मिला। उसने मुख्य परीक्षा में आगे कहा कि उग्रवादी भोला लाल ने पीड़ित को पकड़ लिया, लेकिन सूचना देने वाले ने अपने प्रथम सूचना प्रतिवेदन में ऐसा कोई तथ्य नहीं बताया और इसके अलावा, उक्त उग्रवादी का नाम उन उग्रवादियों के नामों में नहीं मिला, जिनकी पहचान प्रथम सूचना प्रतिवेदन में

उल्लिखित सूचना देने वाले द्वारा की गई थी। उक्त गवाह ने मुख्य परीक्षा के कंडिका नंबर 2 में आगे कहा कि जब अपीलकर्ता और उग्रवादी समूह के सदस्य ले जा रहे थे तो उसका पूरा परिवार उसके साथ गया था, लेकिन उसके परिवार के सदस्यों की उपस्थिति का खुलासा प्रथम सूचना प्रतिवेदन में सूचक द्वारा नहीं किया गया था। उसी कंडिका में, सूचक ने कहा कि पहली गोली अपीलार्थी, मेवालाल खरवार द्वारा चलाई गई थी और उसके बाद आरोपी, घमंडी उरांव, श्याम सुंदर और लालमुनि बैठा ने पीड़ित पर गोली चला दी थी। जबकि प्रथम सूचना प्रतिवेदन के अनुसार, अपीलार्थी, मेवालाल खरवार एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने पीड़ित पर गोली चलाई थी। सूचना देने वाले ने अपने जाँच-प्रभारी के कंडिका नंबर 3 में कहा कि उसका पुत्र (पीड़ित) का एकत्रित सह-ग्रामीणों के साथ भूमि विवाद था, लेकिन बाद में, प्रतिपरीक्षण में उन्होंने कहा कि उनके और अपीलार्थी लल्लू सिंह और आरोपी लालमुनि बैठा के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। पीडब्लू 2, पीडब्लू 3 और पीडब्लू 9 ने खुद को घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा किया, जिसके साक्ष्य पर बाद में चर्चा की जाएगी, लेकिन इस गवाह (पीडब्लू 1) के बयान के अनुसार, गवाह शंभू यादव उर्फ शंभू सिंह, धनराज यादव और सुरेंद्र यादव गोलीबारी के बाद मुख्य घटना स्थल पर पहुंचे।

19. पीडब्लू 2, सूचक के पुत्र शंभू यादव उर्फ शंभू सिंह ने अलाव के पास इकट्ठे हुए सह-ग्रामीणों के नाम लालमुनि बैठा, लल्लू सिंह, मीरा यादव उर्फ राम रूप यादव, इंद्रदेव यादव, लक्ष्मी सिंह और केदार यादव के रूप में बताए और उन्होंने उक्त स्थान पर मौजूद रामजाग खरवार के नाम का खुलासा नहीं किया, जबकि मुखबिर ने उक्त व्यक्ति की उपस्थिति का खुलासा किया। इस गवाह ने मुख्य परीक्षण में आगे कहा कि अलाव के पास सह-ग्रामीणों के साथ 4-5 व्यक्ति भी मौजूद थे, लेकिन सूचना देने वाले के अनुसार, उपद्रवियों की संख्या 8-10 थी। इस गवाह के अनुसार, वह अपने भाई

(पीड़ित) के पीछे भी गया और उसने देखा कि जब उसका भाई रामजाग खरवार के घर के पास पहुंचा, तो उसके सह-ग्रामीण लालमुनि बैठा ने दूसरों को उस स्थान पर पीड़ित की उपस्थिति के बारे में संकेत दिया। लेकिन सूचना देने वाले ने उक्त संकेत के संबंध मे जमा हुए सभी सह-ग्रामीणों द्वारा एक सामान्य बयान दिया और उन्होंने उक्त कृत्य में विशिष्ट व्यक्ति के नाम का खुलासा नहीं किया। साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में आगे कहा कि अपीलार्थी द्वारा सीटी बजाने पर, मेवालाल खरवार सशस्त्र व्यक्ति भी वहाँ जमा हो गए लेकिन सूचना देने वाले द्वारा ऐसा बयान नहीं दिया गया था। इस साक्षी के साक्ष्य के अनुसार, पीड़ित पर पहली गोली अपीलार्थी मेवालाल खरवार द्वारा चलाई गई थी और उसके बाद दूसरी गोली सह-आरोपी लालमुनि बैठा द्वारा चलाई गई थी और फिर तीसरी गोली सह-आरोपी श्याम सुंदर सिंह द्वारा पीड़ित पर चलाई गई थी। यह कथन पीडब्लू 1 के साक्ष्य के विरोधाभासी है क्योंकि उनके अनुसार अपीलार्थी मेवालाल खरवार एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने मृतक पर गोली चलाई थी। इस साक्षी के अनुसार, मुख्य घटना स्थल पर वह, उसके पिता, चाचा, चचेरे भाई रामगहन, मृतक की पत्नी, उसकी दो बेटियां और एक बेटा भी मौजूद थे, लेकिन घटना स्थल पर इन परिवार के सदस्यों की उपस्थिति के बारे में, सूचना देने वाला प्रथम सूचना प्रतिवेदन में चुप रहा और इसके अलावा, मृतक की बेटियों, बेटे तथा इस साक्षी के चाचा को अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया गया। साक्ष्य ने जिरह में कहा कि मृतक का आरोपी के साथ कोई विवाद नहीं था, जबकि पीडब्लू 1 के साक्ष्य के अनुसार मृतक के परिवार का अपीलार्थी लल्लू सिंह और आरोपी लालमुनि बैठा के साथ भूमि विवाद था। गवाह ने जिरह में यह भी बयान दिया की गवाही दी कंडिका 16 में कहा गया है कि वह और पीडब्लू 3, धनराज यादव गोलीबारी के बाद घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन बाद में उसी समय उन्होंने कहा कि वे सभी घटना स्थल पर मौजूद थे जब गोलीबारी की जा रही थी, इसलिए, गवाह

अपने रुख पर दृढ़ नहीं रहा और उसका बयान चश्मदीद गवाह के रूप में उसकी और अन्य की उपस्थिति के बारे में पीडब्लू 1 के बयान के विपरीत है। गवाह ने जिरह में आगे कहा कि जब आरोपी ने अपने भाई (मृतक) पर गोली चलानी शुरू की तो उसने उसे बचाने के लिए पीड़ित को गले लगा लिया और उस समय 20-30 लोग थे जिन्होंने पीड़ित पर गोली चला दी थी। उक्त बयान पीडब्लू 1 के बयान के साथ-साथ प्रथम सूचना प्रतिवेदन में वर्णित अभियोजन पक्ष की कहानी के पूरी तरह से विरोधाभासी है।

20. पीडब्लू 2 ने अपनी जिरह के कंडिका संख्या 21 में बयान दिया कि पहला बयान उसके द्वारा पुलिस के समक्ष दर्ज किया गया था और उसने थाना प्रभारी को दोषियों के नाम बताए जिन्होंने उसका बयान दर्ज किया और फिर उसने और सुरेंद्र यादव (मृतक के बहनोई) ने उक्त बयान पर हस्ताक्षर किए। इस साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए इस गवाह के बयान को प्रथम सूचना प्रतिवेदन के रूप में माना गया होगा, लेकिन पुलिस ने पीडब्लू 1 के *फर्द बयान* पर कार्रवाई की, हालांकि उक्त *फर्द बयान* पर इस गवाह और सुरेंद्र यादव के हस्ताक्षर हैं, लेकिन इस गवाह के अनुसार, उनके लिखित बयान पर केवल उनके और सुरेंद्र यादव के हस्ताक्षर थे। उक्त परिस्थिति स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि इस गवाह द्वारा दी गई घटना के बारे में पहली जानकारी अभियोजन पक्ष द्वारा रोक दी गई थी जिसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। गवाह ने जिरह में आगे कहा कि अपीलार्थी मेवालाल खरवार के पास देसी पिस्तौल (कट्टा) थी और आरोपी श्याम सुंदर और लालमुनि बैठा के पास राइफलें थीं। यहाँ, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि पीडब्लू 3, धनराज यादव ने जिरह में गवाही दी कि अपीलार्थी, मेवालाल खरवार ने एक छोटी रिवॉल्वर का उपयोग करके मृतक पर गोली चलाई। अपीलार्थी, मेवालाल खरवार द्वारा ले जाए जा रहे हथियार के बारे में, मुखबिर ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन में खुलासा किया कि उक्त अपीलार्थी ने एक

राइफल का उपयोग करके गोली चलाई और वही बयान उसने निचली अदालत के समक्ष अपने साक्ष्य में दिया था। इसलिए, अपीलार्थी मेवालाल खरवार द्वारा कथित रूप से जिस प्रकार के हथियार का उपयोग किया गया था, उसके संबंध में अभियोजन पक्ष के भौतिक गवाहों की गवाही के बीच एक गंभीर विरोधाभास है। पीडब्लू 1 ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया कि घटना से पहले अपीलार्थी मेवालाल खारवार के साथ उनका कोई परिचय नहीं था, इसलिए सूचना देने वाले (पीडब्लू 1) ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन में अपीलार्थी मेवालाल खारवार की पहचान के स्रोत का खुलासा किया होगा, लेकिन इस संबंध में वह चुप रहे।

21. मृतक के भाई पीडब्लू 3 ने जाँच-प्रभारी को बताया कि अलाव के आसपास इकट्ठे हुए सह-ग्रामीणों में रामजाग खरवार भी मौजूद थे, लेकिन सूचना देने वाले ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। इस गवाह ने मूख्य परीक्षण में आगे कहा कि अलाव के पास इकट्ठा हुए सह-ग्रामीण भी उग्रवादियों के साथ बरगद के पेड़ की ओर गए और उसके बाद सह-ग्रामीणों ने अपीलकर्ता मेवालाल खरवार (कमांडर) को बुलाया। घटना के इस तरीके के संबंध में, पीडब्लू 1 और पीडब्लू 2 ने कुछ नहीं कहा। इसी तरह, गोलीबारी की मुख्य घटना के तरीके के संबंध में इस गवाह ने पीडब्लू 1 और पीडब्लू 2 के बयानों के विरोधाभासी तथ्य भी बताए क्योंकि उनके अनुसार, पहली गोली अपीलार्थी मेवालाल खरवार द्वारा चलाई गई थी, इसके बाद दूसरी गोली लालमुनि बैठा द्वारा चलाई गई थी और उसके बाद आरोपी श्याम सुंदर और घमंडी उरांव ने मृतक पर गोली चला दी थी। मुखबिर ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन में हमलावर के रूप में लालमुनी बैठा, श्याम सुंदर और घमादी उरांव की भूमिका के बारे में कुछ नहीं कहा और हमलावर के रूप में घमादी उरांव की उपस्थिति के बारे में, पीडब्लू 2 ने कुछ नहीं कहा। पीडब्लू 3 ने जिरह में कहा कि अभियुक्तों ने पहले मृतक को गोली चलाने से पहले घेर लिया और उसके बाद उन्होंने मृतक पर पीछे से गोली चला दी, जबकि पीडब्लू 1 के अनुसार अभियुक्तों ने मृतक पर

सामने से गोली चलाई। इसी तरह का बयान पीडब्लू 2 द्वारा दिया गया इस प्रकार, गोलीबारी के तरीके के संबंध में, अभियोजन पक्ष के भौतिक गवाहों के बयानों के बीच गंभीर विरोधाभास है। गवाह ने जिरह में आगे कहा कि वह, पीड़ित और उसके परिवार के अन्य सदस्य रामजाग खरवार के घर के सामने आरोपी से घिरे हुए थे, लेकिन सूचना देने वाले ने ऐसा बयान नहीं दिया और उसने उस स्थान पर मौजूद होने का दावा किया जब मृतक एकत्र सह-ग्रामीणों के पास से गुजर रहा था।

22. पीडब्लू 9, सुरेंद्र यादव को भी इस घटना का चश्मदीद गवाह बताया गया है। इस गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में दिए गए बयान के अनुसार, अपीलार्थी, लल्लू सिंह ने सबसे पहले, मृतक (पीड़ित) की ओर इशारा करते हुए एकत्रित सह-ग्रामीणों के पास होने का खुलासा किया। जबकि पीडब्लू 2 के अनुसार, उक्त संकेत आरोपी लालमुनि बैठा द्वारा दिया गया था, लेकिन पीडब्लू 1 ने अलाव के पास पीड़ित की उपस्थिति का संकेत देने या इंगित करने से संबंधित विशिष्ट व्यक्ति के नाम का खुलासा नहीं किया, इस प्रकार, घटना के पहले भाग के तरीके के बारे में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास है। गवाह ने गवाही दी कि अपीलार्थी, मेवालाल खरवार द्वारा मृतक पर राइफल का उपयोग करके 3-4 गोलियां चलाई गईं। इस गवाह ने आरोपी लालमुनि बैठा, श्याम सुंदर और घमंडी उरांव के नाम हमलावर के रूप में प्रकट नहीं किए और इस बिंदु पर, उनका बयान अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों के बयानों के पूरी तरह से विरोधाभासी है।

23. अभियोजन पक्ष के भौतिक गवाहों के उपरोक्त चर्चा किए गए साक्ष्यों के आलोक में, हम पाते हैं कि घटना के तरीके, हमलावरों की संख्या और घटनाओं के स्थानों पर पीडब्लू 1, पीडब्लू 2, पीडब्लू 3 और पीडब्लू 9 की उपस्थिति के संबंध में गंभीर

विरोधाभास हैं जिनकी ऊपर चर्चा की गई है, हालांकि विरोधाभास कई कारणों से हो सकते हैं जैसे कि घटना के होने और निचली अदालत के समक्ष साक्ष्य दर्ज करने के बीच समय की लंबी अवधि, स्मृति का खो जाना आदि। लेकिन जहां अभियोजन पक्ष के गवाहों ने खुद को शुरू से अंत तक पूरी घटना को देखी है, वहाँ घटना के तरीके के साथ-साथ पी. ओ. में उनकी उपस्थिति और अपराध में उपयोग किए गए हथियारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष कथित घटना के घटित होने को साबित करने के लिए एक स्वतंत्र व्यक्ति को गवाह के रूप में पेश करने में विफल रहा क्योंकि, यह स्वीकार किया जाता है कि घटनास्थल पर ग्रामीणों की एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी और अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही के बीच उपरोक्त चर्चा किए गए विरोधाभास इतने बड़े हैं कि इन गवाहों की सच्चाई और विश्वसनीयता के बारे में एक गंभीर संदेह हमारे दिमाग में दिखाई देता है।

24. तत्काल मामले में, मुख्य जांच अधिकारी, जिसने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज किए और जांच के अन्य मुख्य भाग किए, को अभियोजन पक्ष द्वारा पेश नहीं किया गया और उससे पूछताछ नहीं की गई, जिसने अपीलार्थियों के बचाव को गंभीर रूप से प्रभावित किया क्योंकि उन्हें अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही में विरोधाभासों के संबंध में मुख्य जांच अधिकारी से जिरह करने का अवसर नहीं मिल सका। इसके अलावा, जांच दोषपूर्ण रही क्योंकि अभियोजन पक्ष ने मृतक के खून से सने कपड़ों की जब्ती के साथ-साथ कथित घटना को अंजाम देने में कथित रूप से इस्तेमाल किए गए आग्नेयास्त्रों की बरामदगी दिखाने के लिए कोई सामग्री पेश नहीं की और साथ ही पीडब्लू 2 के बयान के आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज नहीं किया, जिसने दावा किया कि जब पुलिस ने घटना स्थल का दौरा किया तो सबसे पहले अपना बयान दर्ज किया था।

25. यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि सूचना देने वाले का *फर्द बयान* 19.11.2004 को दर्ज किया गया था, लेकिन यह 24.11.2004 को विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में प्राप्त हुआ था और पाँच दिनों की उक्त देरी के बारे में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, जिससे अभियोजन पक्ष के मामले में भी गंभीर संदेह पैदा होता है क्योंकि यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 (1) के प्रावधान का उल्लंघन है और इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***छोटकाऊ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*** **(2023) 6 एस. सी. सी. 742 में रिपोर्ट किया गया जिसे निम्नलिखित रूप में देखा गयाः**

> ***"धारा 157 (1) आ.दं.सं. पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी से प्रथम सूचना प्रतिवेदन भेजने की अपेक्षा करती है, धारा 157 (1) आ.दं.सं. को प्रत्येक मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए और सभी मामलों में एक ही सूत्र लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन जहां प्रत्यक्ष साक्ष्य अविश्वसनीय और इस प्रकार अस्वीकार्य पाया जाता है, वहां न्यायालय को लंबी देरी पर ध्यान देना होगा।***

26. वर्तमान मामले में, मुख्य अभियोजन पक्ष के गवाहों के प्रत्यक्ष साक्ष्य, जिनकी चर्चा ऊपर की गई है, अविश्वसनीय पाए गए है, इसलिए क्षेत्राधिकार दंडाधिकारी को प्रथम सूचना प्रतिवेदन भेजने में उक्त लंबी देरी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और यह अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक प्रतीत होता है।

27. इसके अलावा हम पाते हैं कि उसी निचली अदालत ने आरोपी घमंडी उरांव, अवधेश उरांव, सुंदर सिंह उर्फ श्याम सुंदर सिंह, राज कुमार सिंह और मिहका उरांव को एक ही साक्ष्य के आधार पर बरी कर दिया, जबकि पीडब्लू 1, पीडब्लू 2, पीडब्लू 3

और दो अन्य के साक्ष्य जो निचली अदालत में लिए गए थे, उन्हें निचली अदालत ने उक्त आरोपी के संबंध में अपनाया, जिन अलग से मुकदमे का सामना किया और इन गवाहों के साक्ष्यों पर विचार करते हुए विद्वत निचली अदालत ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराते हुए उक्त आरोपी को बरी कर दिया और इन गवाहों में से तीन गवाह हैं। लेकिन निचली अदालत का उक्त दृष्टिकोण पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है और यह कानून के तय किए गए सिद्धांत के खिलाफ है और इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***जावेद शौकत अली बनाम गुजरात राज्य, (2023) 9 एस. सी. सी. 164*** में रिपोर्ट किया गया है और अपने फैसले के कंडिका संख्या 15 में स्पष्ट रूप से कहा है कि .....

> ***15. धारा 157(1) आ.दं.सं. के अनुसार पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को प्रथम सूचना प्रतिवेदन तुरंत भेजने की आवश्यकता होती है, धारा157(1) आ.दं.सं. में तुरंत प्रत्येक मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए और सभी मामलों में एक समान सूत्र लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन जहां प्रत्यक्ष साक्ष्य अविश्वसनीय और इस प्रकार अस्वीकार्य पाया जाता है, वहां न्यायालय द्वारा लंबी देरी पर ध्यान दिया जाना चाहिए।***
>
> **<u>निष्कर्ष</u>**

28. अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्यों पर चर्चा करने के बाद, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से पीडब्लू 1, पीडब्लू 2, पीडब्लू 3 और पीडब्लू 9 के साक्ष्य पर निर्भर करता है जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने शुरू से लेकर पूरी घटना को देखा है। समाप्त लेकिन उनकी गवाही से प्रकट होने वाले गंभीर विरोधाभासों के मद्देनजर, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, वे कथित घटना के प्रत्यक्षदर्शी

नहीं लगते हैं और अभियोजन पक्ष मुख्य जांच अधिकारी को पेश करने और उससे पूछताछ करने में विफल रहा, जिससे बचाव पक्ष गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। अपीलकर्ताओं की ओर से और चरमपंथियों की मदद से मृतक को मारने के लिए अपीलकर्ता, लल्लू सिंह और मीरा यादव उर्फ राम रूप यादव द्वारा कथित तौर पर रची गई साजिश के संबंध में, अभियोजन पक्ष और ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण द्वारा कोई ठोस और विश्वसनीय सबूत पेश नहीं किया गया था। अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाहों के साक्ष्यों के एक ही सेट पर अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराना और कुछ आरोपियों को बरी करना, जो अपीलकर्ता लल्लू सिंह की तरह समान प्रकृति के आरोप लगा रहे थे, उचित नहीं था। तदनुसार, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यद्यपि अभियोजन पक्ष ने एक चरमपंथी समूह के सदस्यों द्वारा पीड़ित की हत्या की पुष्टि की है, लेकिन उक्त अपराध में अपीलकर्ताओं की कथित संलिप्तता के संबंध में अपना मामला स्थापित करने में विफल रहा है और उपरोक्त चर्चा किए गए तथ्यों के मद्देनजर अपीलकर्ता हैं। संदेह का लाभ पाने का हकदार है। इसलिए, अपीलकर्ताओं को उन अपराधों के लिए दोषी ठहराने और सजा देने के फैसले और आदेश को रद्द कर दिया जाता है, जिसके लिए उन पर आरोप लगाए गए थे और अपीलकर्ताओं को लगाए गए अपराधों से बरी कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप, ये अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

29. सभी अपीलकर्ता जेल में हैं इसलिए उन्हें निर्देश दिया जाता है कि यदि किसी अन्य मामले में उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।

30. फैसले की प्रति विचारण न्यायालय और संबंधित जेल अधीक्षक को आवश्यकतानुसार भेजी जाए।

31. एल.सी.आर. विचारण न्यायालय को वापस भेजा जाए।

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति)

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

बीकेएस/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।